

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक: एफ.1(2)गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./2013

जयपुर, दिनांक : 20/4/2015

आदेश

राजस्थान जनसम्पर्क सेवा नियम, 1966 के नियम-29 के अन्तर्गत सूचना एवं जन सम्पर्क सेवा के सहायक निदेशक स्तर के अधिकारियों की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में निम्न प्रकार जारी की जाती है :-

सहायक निदेशक

क्र.स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	पदोन्नति वर्ष	वि.वि.
1.	श्री सतीश कुमार सूद (निलम्बित)	30.06.1955	2008-09	
2.	श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी	15.03.1961	2010-11	
3.	श्रीमती अलका सक्सेना	20.01.1965	2010-11	
4.	श्री शिवचन्द मीणा (अजजा)	15.01.1963	2010-11	
5.	श्री अरुण कुमार जोशी	02.01.1964	2011-12	
6.	श्री गोविन्द नारायण पारीक	02.08-1963	2011-12	
7.	श्री मोहन लाल गुप्ता	04.08.1962	2011-12	
8.	श्री प्रभात गोस्वामी	05.03.1958	2011-12	
9.	श्री रूप सिंह कविया	10.09.1957	2011-12	
10.	श्री आनन्द राज व्यास	10.06.1957	2011-12	
11.	श्रीरत्नकुमार सांभरिया (अजा)	06.01.1956	2011-12	
12.	श्री सीताराम मीणा (अजजा)	01.07.1960	2011-12	
13.	श्रीमती पुष्पा गोस्वामी	14.05.1958	2012-13	
14.	श्री रामफूल गुर्जर	16.01.1962	2012-13	
15.	श्री यादवेन्द्र कुमार सेन	06-04-1960	2013-14	
16.	श्री ओम प्रकाश चन्द्रोदय (अजा)	22-05-1962	2013-14	
17.	श्री दीपक दत्त आचार्य	26-02-1963	2013-14	
18.	श्री राजेश कुमार व्यास	14-09-1973	2013-14	
19.	श्री महेश चन्द्र शर्मा (अपिव)	10-11-1963	2013-14	
20.	श्री अमर सिंह चौहान	05-07-1958	2013-14	
21.	श्रीमती उषा भील (अजजा)	17-01-1956	2013-14	




22.	श्री राम प्रसाद जाट	27-08-1955	2013-14	
23.	श्रीमती रेणु जुनेजा	30-09-1957	2013-14	
24.	श्री श्रवण कुमार (अजा)	09-06-1963	2013-14	
25.	श्री कमलेश शर्मा (अपिव)	15-10-1976	2013-14	
26.	सुश्री नर्बदा इन्दौरिया	28-05-1972	2013-14	
27.	श्री मनमोहन हर्ष	15-11-1970	2013-14	

उपरोक्त वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में यदि किसी अधिकारी को कोई आपत्ति हो, तो वे अपना प्रतिवेदन 15 दिन में आवश्यक रूप से भेजने की व्यवस्था करें, उसके पश्चात् वरिष्ठता सूची फाईनल कर दी जायेगी।

ह.
संयुक्त शासन सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, सचिव, मा. मुख्यमंत्री (मंत्री, सूजस)
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सूजस।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/सूजस)
4. उप निदेशक (प्रशासन) सूजस।
5. संबंधित अधिकारी।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, मुख्यालय, जयपुर।
7. गार्ड फाईल।


संयुक्त शासन सचिव